(1)

नगर निगम, वाराणसी

कर-विभाग-रजिस्टर नम्बर [illegible]

उत्तर प्रदेश नगर निगम, अधिनियम सं० १९५९ की धारा २१३

(क) (ख) और सम्बन्धित असेसमेंट रूल के अन्तर्गत सूचना

नोटिस बनाम श्रीमान/श्रीमती [illegible]

[illegible] निवास [illegible] वार्ड [illegible]

श्री [illegible] तारीख

[illegible] २०१२ को दरख्वास्त दी है कि मकान नं० 513, 512, 510, 509, 508, 511, 436, 517 का [illegible]

नक्शा मुहल्ला [illegible] वार्ड [illegible] का नजरिये [illegible]

के यह मालिक हैं। अतएव श्री [illegible] पुत्र [illegible] का नाम रजिस्टर असेसमेंट [illegible] 513, 512, 510, 509, 508, 511, 436 व 517 के [illegible] पर [illegible]

[illegible] से खारिज कर श्री [illegible]

नाम दर्ज किया गया। [illegible]

अतएव आपको सूचना दी जाती है कि इस दाखिल खारिज नाम में जो कुछ आपत्ति हो, आपत्ति -पत्र द्वारा इस नोटिस प्राप्ति की तिथि से १ माह के अन्दर आपत्ति पेश करें वरना अवधि व्यतीत हो जाने पर सुनवाई नहीं होगी। दाखिल खारिजनामा की कार्यवाही व तारीख 2 माह 11 सन् २०१२ को अमल में लायी जायेगी। अवधि के अन्तर्गत आपत्ति दाखिल करने पर उपरोक्त दिनांक [illegible] समय [illegible] अथवा अन्य सूचना के अनुसार दूसरी तारीख को निगम कार्यालय में कार्यकारिणी समिति/कार्यकारिणी उप-समिति के सम्मुख उपस्थित होकर जो कुछ कहना हो कह सकते हैं। स्मरण रहे कि यदि आप नियत समय पर उपस्थित न होंगे तो आपकी अनुपस्थिति में आपत्ति-पत्र निस्तारण कर दिया जायेगा और उस पर पुनर्विचार न होगा।

दिनांक [illegible]

[illegible]

कर अधीक्षक
कृते-उपसमिति/नगर आयुक्त
नगर निगम, वाराणसी

कर अधीक्षक